मोटू राम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 10/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 10/2024

मोटूराम पुत्र रणजीतराम जाति सुथार निवासी रोहिडावाली सुथारान तहसील जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर ।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थित अभिभाषक :: –

अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह सिद्धू	प्रार्थी
पैरोकार राज	अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–09.06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी के नाम बैंक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली,भू अभि० निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/65 के मुरब्बा नम्बर 18, 27, 30, 31, 47, 48, 72, 23, 72/28. 72/32, 72/38 की कुल 17:257 हेक्टेयर में 2300/17:257 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है । चक होजा के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 जो कि वादी के कब्जा में है, उपरोक्त किलाजात जमाबंदी संवत 2072–2075 में बारांनी दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2026–2035 में नहरी दर्ज है तथा सिंचाई विभाग के सीसीए रिकॉर्ड में चक 2 पी बडी के गुरब्बा नम्बर 27 (पत्थर नम्बर 66/62) में 24–10 बीघा कमाण्ड दर्ज है, जमाबंदी संवत 2026–2035 की फोटो प्रति व सीसीए रिकॉर्ड की फोटो प्रति संलग्न है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में एक 2 पी बडी के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 बारानी दर्ज कर दिये गये है जबकि उपरोक्त किलाजात सीसीए रिकॉर्ड में कमाण्ड दर्ज है तथा सीसीए रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 27 का पूरा रकबा कमाण्ड दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का रकबा मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 बारानी दर्ज होने के कारण वादी को भूमि सुधार एवं अन्य कार्यों में भारी परेशानी आ रही है, इस सम्बंध में वादी ने कई बार प्रतिवादी से आग्रह किया कि सीसीए रिकॉर्ड के अनुसार गुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नहरी दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी ने टालमटोल करते हुए दिनांक 15.01.2024 को इंकार कर स्पष्ट कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही वह राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करेगा, अतः यही वाद कारण है। वादी का रकबा श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः वाद वादी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर तारीख इंकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादी प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(क) डिक्री घोषणा एवं दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि जमावंदी 2026–2035 एवं सिंचाई विभाग के सीसीए रिकॉर्ड के अनुसार चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली, भू–अभि० निरीक्षक क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/65 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 नहरी दर्ज है, अतः राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जाकर चक 2 पी बडी के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 14 व 17 नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका अनुसार आराजी चक 2 पी बडी जमावन्दी संवत 2039 से 2042 के मु.नं. 27 कि.नं. 14 व 17 में बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड अभिलेख है। तथा वर्तमान जमावन्दी संवत 2076 में मु.नं. 27 के कि.नं. 14 व 17 बारानी दर्ज रिकार्ड है। लेकिन मौके पर मु.नं. 27 के कि.नं. 14 व 17 में नहर द्वारा सिंचाई हो रही है। मिसल वन्दोवस्त 2026–2035 में चक 2 पी बडी में मुनं. 27 का कि.नं. 14 व 17 रिकार्ड में किस्म नहरी दर्ज है।

वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 5527 दिनांक 18.12.2023 की प्रति पेश की गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक 2 पी बडी, पटवार हल्का रोहिडावाली खाता संख्या 80/65, जमावंदी सम्वत् 2026–2035 चक 2 पी बडी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29 एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवम् अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक 5527 दिनांक 18.12.2023 के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक चक 2 पी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/65 के मुरबा नम्बर 27 में दर्ज किला नम्बर 14(बारानी) व 17(बारानी) को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मुरबा नम्बर 27 का किला नम्बर 14 नहरी व किला नम्बर 17 नहरी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner